न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला–(डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील कुमार -I, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 80/2024 (GCMS 2024/174)

प्रार्थीगण

1. कुनणाराम पुत्र झूंताराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट
2. छोटूराम पुत्र झूंताराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट
3. हणमानराम पुत्र झूंताराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट
4. महावीर प्रसाद पुत्र कुशलाराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट
5. मूलाराम पुत्र कुशलाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट
6. गणेशाराम पुत्र ज्ञानाराम उम्र 34 वर्ष जाति जाट
7. जीवणराम पुत्र ज्ञानाराम उम्र 31 वर्ष जाति जाट निवासीगण रामपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ऊंकारराम पुत्र नन्दाराम
2. भंवरी देवी पत्नि नन्दाराम
3. किशनाराम पुत्र केशाराम फौत के विधिक वारिसान :–
   3/1– मोहनी देवी पत्नी स्व. किशनाराम
   3/2– छोटूराम पुत्र स्व. किशनाराम
   3/3– ज्ञानाराम पुत्र स्व. किशनाराम
   3/4– पूसाराम पुत्र स्व. किशनाराम
   3/5– मेवाराम पुत्र स्व. किशनाराम
   3/6– श्योदान पुत्र स्व. किशनाराम
   3/7– शिवलाल पुत्र स्व. किशनाराम
   3/8– नेमाराम पुत्र स्व. किशनाराम
   3/9– बल्लीदेवी पुत्री स्व. किशनाराम
   3/10–पतासी देवी पुत्री स्व. किशनाराम
4. बिलाराम पुत्र स्व. गोमाराम
5. देवीलाल पुत्र स्व. गोमाराम
6. बिलू देवी पुत्री स्व. गोमाराम

चूनाराम पुत्र केशाराम फौत विधिक वारिसान :–

7. मानाराम दत्तक पुत्र स्व. चूनाराम
8. लदका देवी पत्नि स्व. चूनाराम

छीतरराम पुत्र सुखाराम फौत के विधिक वारिसान :–

9. दूलाराम पुत्र स्व. छीतरराम
10. द्वारका पुत्र स्व. छीतरराम
11. छोटूराम पुत्र सुखाराम
12. तिलोकाराम पुत्र गणेशाराम
13. तीजूदेवी पुत्री श्रीमती धन्नी देवी
14. थानाराम पुत्र गणेशाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

15. नानूराम पुत्र धन्नीदेवी
16. नानूराम पुत्र केशाराम
17. नारायणी पुत्र नन्दाराम
18. पूरणराम पुत्र सुखाराम

<u>बन्नाराम पुत्र गुलाराम फौत के विधिक वारिसान :–</u>

19. अमराराम पुत्र स्व. बन्नाराम
20. पेमा देवी पत्नी स्व. बन्नाराम
21. सजना पुत्री स्व. बन्नाराम
22. अन्जू पुत्री स्व. बन्नाराम
23. बिमला देवी पुत्री गंगाराम

<u>भैरूराम पुत्र गणेशराम फौत के विधिक वारिसान :–</u>

24. सोहन पुत्र स्व. भैरूराम
25. रामपाल पुत्र स्व. भैरूराम
26. किस्तूराराम पुत्र स्व. भैरूराम
27. राकेश पुत्र स्व. रामेश्वर
28. मुकेश पुत्र स्व. रामेश्वर
29. भंवरलाल पुत्र सुखाराम
30. भंवरी देवी पुत्री धन्नीदेवी

<u>भंवरी देवी पत्नी नन्दाराम फौत के विधिक वारिसान :–</u>

31. औंकारराम पुत्र स्व. नन्दाराम
32. भंवरी देवी पुत्री धन्नीदेवी
33. भोलकी देवी पुत्री नन्दाराम
34. मूनकी पत्नी गंगाराम
35. मालूराम पुत्र गंगाराम

<u>रूगाराम पुत्र चन्द्राराम फौत के विधिक वारिसान :–</u>

36. राजूराम पुत्र स्व. रूगाराम
37. राजूराम पुत्र धन्नीदेवी
38. श्यामलाल पुत्र चन्द्राराम
39. श्रवणराम पुत्र सुखाराम
40. सुण्डाराम दत्तक पुत्र चतराराम
41. सेवाराम पुत्र गणेशाराम

<u>हड़मान पुत्र चन्द्राराम फौत के विधिक वारिसान :–</u>

42. टीकूराम पुत्र स्व.हड़मान
43. हीराराम पुत्र केशाराम फौत के विधिक वारिसान :–
44. झूंताराम पुत्र स्व. हीराराम
45. चौथूराम पुत्र स्व. हीराराम
46. बोदूराम पुत्र स्व. हीराराम जाति सभी ... निवासीयान श्रीनगर तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन ...
47. मन्दिर श्री रूगनाथ महाराज ... शर्मा पुत्र रामविलास शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी हीराणी तहसील कुचामनसिटी जि... डीडवाना–कुचामन राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

48. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी।

प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 251 ए के तहत अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खेलने के लिये आवेदन पत्र

उपस्थित – श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 2, 3/1 से 3/8, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24 से 29, 35, 38 से 41, 43 से 46 की ओर से। श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 47 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 01/01/2025

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल हिराणी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज. की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 2.20 हैक्टर में प्रार्थीगण काबिज सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण को अपनी सह–खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 737 में आने–जाने के लिए रास्ता श्रीनगर के ही खेत खसरा नम्बर 755 रकबा 0.36 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 752 रकबा 1.36 हैक्टर चाही 2, खसरा नम्बर 730 रकबा 6.14 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 5 मीटर चौड़ाई में ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 737 की उत्तरी सींव में आने–जाने के लिए एवं कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर एवं मवेशियान आदि को लाने–ले–जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता है, इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मार्ग की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। चाहे गये मार्ग का नजरी नक्शा जो परिशिष्ट "क" है, जिसमें प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया गया है, जिसे प्रार्थना–पत्र का अभिन्न अंग बताया है। ग्राम रामपुरा की राजस्व सीमा में आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 737 आया हुआ है, इस खेत में आने–जाने के लिए ग्राम श्रीनगर के गैर मुमकिन कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 758 आवेदकगण के खेत में आने–जाने एवं मवेशियान व कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर आदि लाने–ले–जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नही है व परस्पर सहमति से ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 751, 752, 755, 730 के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 से 47 रास्ता देने को तैयार नही है। उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बरान की सहखातेदारी नारायणीदेवी पत्नि सुखाराम का स्वर्गवास हो जाने से उन्हे पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है क्योंकि उनके विधिक वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, कटाणी रास्ते से सबसे नजदीक यही रास्ता पड़ता है। प्रस्तुत नजरी नक्शे के बिन्दु " A " से " B " रास्ता बताया गया है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि आवेदन प[illegible] फरमाया जाकर नया मार्ग ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 751, 755, 752, 730 [illegible] में मार्ग " A " से " B " दर्शाया गया है को मार्ग के रूप में [illegible] जाकर इस नये रास्ते के क्षेत्रफल की भूमि पर खसरा नम्बर 751, 755, 752, 730 के खातेदारों की खातेदारी निर्वासित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

घोषित कर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावें। आवेदक निर्धारित मुआवजा राशि खसरा नम्बर 751, 755, 752, 730 के खातेदारान (अप्रार्थी सं. 1 ता 47) को अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 3/1 से 3/8, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24 से 29, 35, 38 से 41, 43 से 46 , की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये, जिन्होने प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 47 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्होने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया तथा रास्ता दिये जाने पर उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नही है। शेष अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रश्नगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में उन्होने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1256 दिनॉक 24.10.2024 को मौका रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में दिनॉक 10.10.2024 को तैयार कर प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

उपरोक्त अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थीग्ण की भूमि ग्राम श्रीनगर में स्थित है तथा प्रार्थीगण की भूमि ग्राम रामपुरा में स्थित है दोनो राजस्व ग्राम अलग–अलग है। ग्राम रामपुरा में प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा खेत खसरा नम्बर 737, 732 731, 733, 899, 898, 897 भूमि आई हुई है उक्त भूमि के पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 903, 904, 905 की भूमि आई हुई है जो रामपुरा से श्रीनगर जाने वाले मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 910 में मिल जाती है। प्रार्थीगण रामपुरा से श्रीनगर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग से खसरा नम्बर 905, 904, 903 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे स्वयं के खेत खसरा नम्बर 899 में प्रवेश कर अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 732, 737 में आसानी से आ जा सकते है, यही सबसे निकटतम रास्ता प्रार्थीगण के लगता है जिसे अपने खेत व ढ़ाणियो से ग्राम रामपुरा व श्रीनगर दोनो गाँवो में आसानी से आ जा सकते है। प्रार्थीगण के पास मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 910 तक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसे प्रार्थीगण व अन्य खातेदारो द्वारा खसरा नम्बर 743 की दक्षिणी पूर्वी कूट से होकर आगे के खसरा में से जाकर खसरा नम्बर 1037/896 मे से जाकर मुख्य मार्ग में मिल जाता है यह रास्ता मौके पर कई वर्षो पूर्व से कायम कर रखा है जिसे प्रार्थीगण आते जाते है यह रास्ता नाला है जिसे जवाब प्रार्थना–पत्र के नजरी नक्शे परिशिष्ट "क" में नीली स्याही से दर्शाया गया है जिसके फोटो [illegible] पत्र के साथ पेश किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खेत श्रीनगर [illegible] खसरा नम्बर 755, 751, 752, 730 में से अपने रामपुरा के खेत खसरा [illegible] रास्ता मांगा गया है। वह अनुचित है। खसरा नम्बर 751, 755 गैर मुमकिन [illegible] है, जिसमें अप्रार्थीगण के मकानात बने हुए है। जिसमें अप्रार्थीगण निवास करते है, प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता बहुत लम्बा है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 751, 755 मे से रास्ता किस दिशा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मांगा गया है, नजरी नक्शे में नही दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 755 में से कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 758 रास्ता खसरा नम्बर 760 761 764 में से होते हुए खसरा नम्बर 764 की उत्तरी पश्चिमी कूंट पर ही बंद हो जाता है, खसरा नम्बर 766 में से कोई कट्टाणी मार्ग नही है तो फिर प्रार्थीगण खसरा नम्बर 764 से आगे किसी कट्टाणी मार्ग से जायेंगे। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को महज तंग व परेशान करने के लिए तथाकथित रास्ते की मांग की है। जो सरासर गैर कानूनी है। प्रार्थीगण का ग्राम रामपुरा में खेत खसरा नम्बर 737, 732, 899, 897 खातेदारी के खेत है, जिसमें जाने के लिए एक और निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 891 की दक्षिणी पूर्वी कूंट पर कट्टाणी रास्ता लगता है इस कट्टाणी मार्ग से प्रार्थीगण खसरा नम्बर 891 की पूर्वी सींव के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 892 की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 896 में से होते हुए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 897, 899,732, 737 में आसानी से आ जा सकते है। प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम श्रीनगर के खसरान में से जो रास्ता आने जाने के लिए चाहा है उससे दो नजदीकी रास्ते ग्राम रामपुरा के कट्टाणी मार्ग से जुड़ते है। जिनकी मांग प्रार्थीगण द्वारा की जा सकती है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट (क) पेश किया है जिसमें लाल स्याई से प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता व निकटतम दो रास्ते दर्शित है, व एक पुराना वैकल्पिक रास्ता भी प्रार्थीगण के आने–जाने का वर्षो से मौजूद है। जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में आ जा रहे है, जिसे नजरी नक्शा में नीली स्याई से दर्शाया गया है, जिसके मौके के फोटोग्राप्स जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किये है। अभी रास्ता कायम किया गया है जो निकटतम रास्ता लगता है, जो प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 734 तक कायम किया हुआ है। रास्ते के खसरा नम्बर 1138/812 है, जिसका नजरी नक्शा पार्ट 2 में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 737, 732, 897, 899 में जाने के लिए दो निकटतम रास्ते है। जिनकी मांग खसरा नम्बर 903, 904, 905, व 891, 892, 896 के खातेदारान से कर सकते है तथा मौके पर आने–जाने के लिए वर्षो पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता भी मौके पर कायम है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से नजरी नक्शे में दर्शित **A** से **B** भाग गलत रास्ता निकटतम होना बताया है। जो कतई स्वीकार योग्य नही है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमया जावें।

तहसीलदार कुचामनसिटी ने फर्द मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में नजरी नक्शा निम्न प्रकार बताया जाकर तथ्य प्रस्तुत किये गये है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

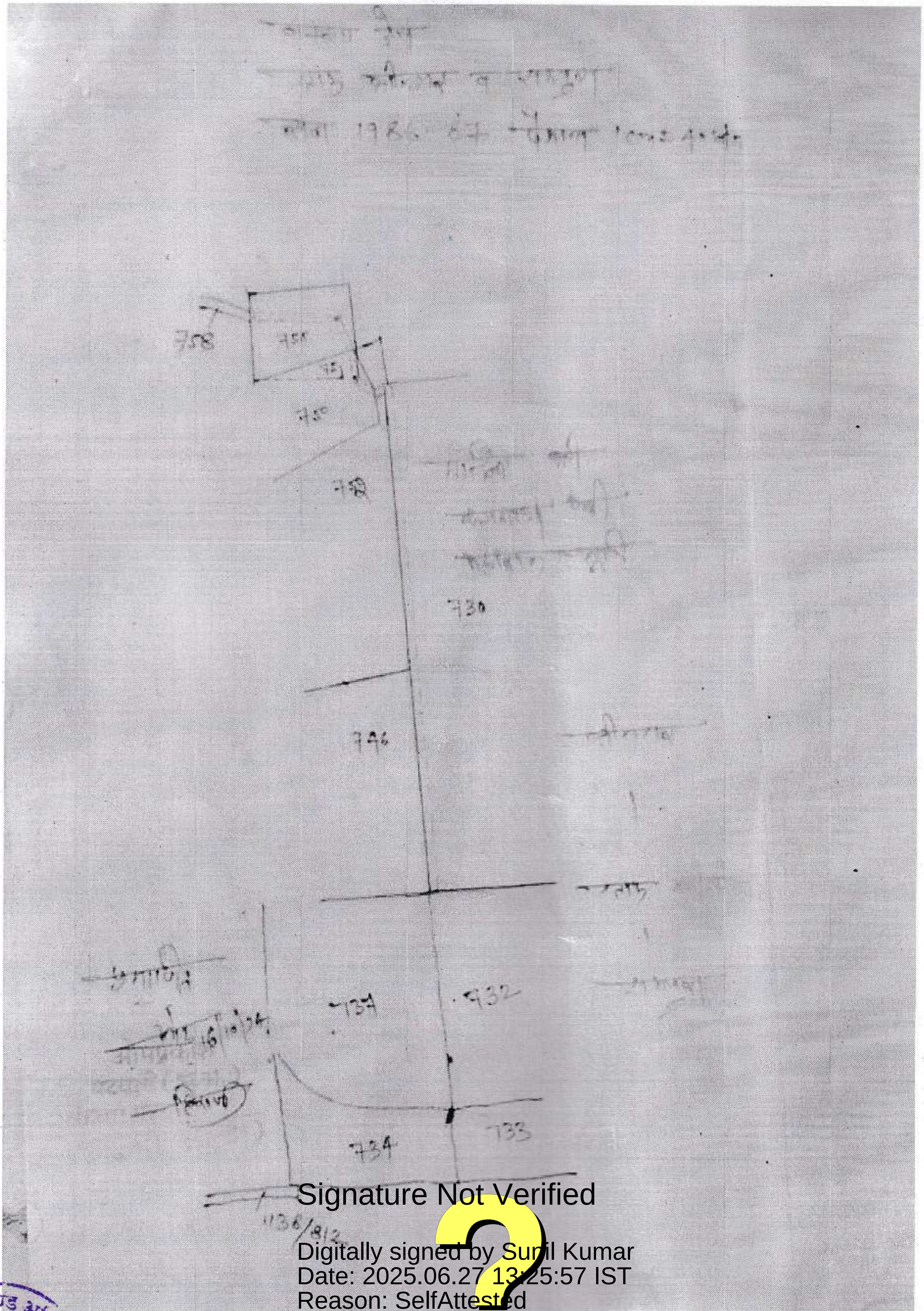

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

फर्द मौका रिपोर्ट

राजस्व नक्शा ग्राम [illegible] ख.न. 730, 750, 751, 752, 755

ग्राम रामपुरा ख.न. 732, 737, 734, 733

N
S

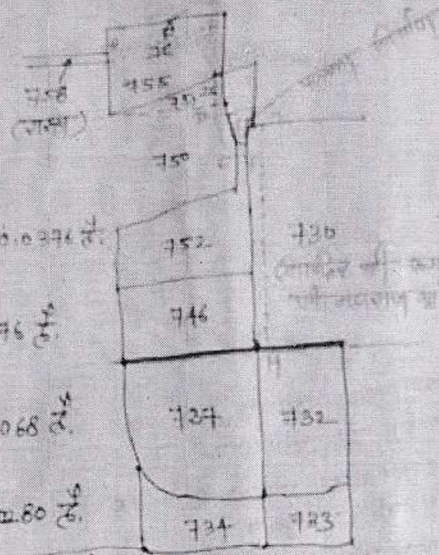

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि का [illegible] विवरण

1. ख.न. 755 में से 94 मी. × 4 मी. = 0.0376 है.
2. ख.न. 751 में से 19 मी. × 4 मी. = 0.0076 है.
3. ख.न. 750 में से 17 मी. × 4 मी. = 0.0068 है.
4. ख.न. 752 में से 7 मी. × 4 मी. = 0.0028 है.
5. ख.न. 730 में से 328 मी. × 4 मी. = 0.1312 है.

कुल भूमि 0.1860 है. (0.2.112) हैक्टेयर

चौथूराम
मुकेश कुमार रामनिवास
महेन्द्र [illegible]

ग्राम [illegible] के ख.न. 755 रकबा 0.36 है. व ख.न. 751 रकबा 0.07 है. [illegible] मौके पर [illegible] है। [illegible] [illegible] हुए हैं [illegible] भूमि पर [illegible] लगे हुए हैं। [illegible] मकान बने हुए हैं [illegible] बिन्दु A, B, C, D, E, F, G व H अनुसार रास्ता कायम [illegible] करवाना चाहते हैं। वर्तमान में मौके पर रास्ता A से D बिन्दु अनुसार चालू है तथा बिन्दु D से H तक चालू नहीं है। ग्राम रामपुरा के ख.न. 732, 733, 734 व 737 प्रार्थीगण की खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिनके समीप एक अन्य [illegible] रास्ता ख.न. 1138/812 राजस्व नक्शे अनुसार लगता है। ख.न. 733 व 734 [illegible] प्रार्थीगण [illegible] में [illegible] [illegible] मौके पर [illegible] लेकर प्रार्थीगण [illegible] होने पर [illegible] है परन्तु [illegible] पानी का [illegible] होने पर रास्ता (नाला) [illegible] होने पर [illegible] परेशानी का सामना [illegible] ख.न. 730 [illegible] भूमि है। फर्द मौका [illegible] पढ़कर सुनाया [illegible]

(M) 12/21

[illegible]

ओमप्रकाश [illegible]

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

दस्तावेजी साक्ष्य में पक्षकारान की ओर से ग्राम श्रीनगर पटवार मण्डल हिराणी की चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 6, 40, 67 ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल हिराणी की चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 खाता सं. 19, 39, 41 की नकले एवं नक्शा ट्रेस की नकले प्रस्तुत हुई।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित मांग अनुसार रास्ता दिये जाने के कथन किये है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते नही दिये जाने के कथन किये है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल हिराणी के खसरा नम्बर 737 में आने जाने हेतु ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 755, 751, 752, 730 में आने जाने हेतु 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है, जिसके लिये मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा जारी डी.एल.सी. दर एवं निर्देशो अनुसार अदा करने को तैयार है।

प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार कुचामनसिटी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 10.10.2024 अनुसार ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल हिराणी तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 737 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जोन के लिए फर्द मौका दिनॉक 10.10.2024 अनुसार ग्राम श्रीनगर पटवार मण्डल हिराणी तहसील कुचामनसिटी 755 में से 94 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौड़ाई = 0.0376 हैक्टर, खसरा नम्बर 751 मे से 19 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौड़ाई = 0.0076 हैक्टर, खसरा नम्बर 750 में से 17 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौड़ाई = 0.0068 हैक्टर, खसरा नम्बर 752 में से 7 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौड़ाई =0.00280 हैक्टर, खसरा नम्बर 730 में से 328 मीटर लम्बाई X 4 मीटर चौड़ाई = 0.1312 हैक्टर कुल भूमि 0.1860 हैक्टर भूमि होती है, श्रीनगर के खसरा नम्बर 755 रकबा 0.36 हैक्टर व खसरा नम्बर 751 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी निजी खातेदारो के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है मौके पर आवासीय मकान बने हुए है शेष खाली भूमि पर सीमेंट ब्लॉक लगे हुए है। प्रार्थीगण नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू **A, B, C, D, E, F, G, H** अनुसार रास्ता कायम करवाना चाहते है। वर्तमान में मौके पर रास्ता **A** से **D** बिन्दू अनुसार चालू है तथा **D** से **H** तक चालू नही है। ग्राम रामपुरा के खसरा नम्बर 732, 733, 734 व 737 प्रार्थीगण की खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जबकि समीप एक अन्य कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1138/812 नजरी नक्शे अनुसार लगता है, खसरा नम्बर 733 व 734 किस्म गै.मु.नाला है, जो मौके पर बने रास्ते से हो[illegible]गण वर्तमान में आवागमन करते है परन्तु वर्षाकाल में पानी का [illegible] अवरूद्ध होने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है, खसरा नम्बर 730 [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र के अवलोकन, जवाब के मन[illegible] तहसीलदार रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

धारा 251–ए के अनुसार वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता दिया जा सकता है। अतः अभाव का बिंदु सिद्ध नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 01/01/2025 को सरे इजलास सुनाय गया।

(श्री सुनील कुमार -I, (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested